

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)


संकल्प

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-5673, दिनांक 27.07.2016 द्वारा Integrated Criminal Justice System (ICJS) योजना के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन आदि के लिए गठित समिति को सम्यक विचारोपरान्त निम्न रूपेण पुर्नगठन किया जाता है :-

<u>क्रमांक</u>	<u>पदनाम</u>	<u>अध्यक्ष/सदस्य</u>
1.	प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना	— अध्यक्ष
2.	सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना	— सदस्य
3.	नोडल पदाधिकारी, CCTNS क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, बिहार, पटना।	— सदस्य
4.	कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, बिहार, पटना	— सदस्य
5.	निदेशक, अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना	— सदस्य
6.	पुलिस महानिरीक्षक, SCRB राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना।	— सदस्य
7.	NIC, टीम लीडर, बिहार, पटना	— सदस्य
8.	अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (CCTNS परियोजना के State e-Mission Team प्रभारी), बिहार, पटना।	— सदस्य
9.	निबंधक (IT), उच्च न्यायालय (न्यायालयों में e-Court परियोजना के अनुश्रवण पदाधिकारी), पटना।	— सदस्य
10.	अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग (विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अंगुलांग ब्यूरो के प्रशासी प्रमुख), बिहार, पटना।	— सदस्य
11.	विशेष सचिव-I, गृह विभाग, बिहार, पटना।	— सदस्य सचिव

इस समिति के निम्नांकित दायित्व होंगे :-

1. योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा।
2. नीति-निर्देश निर्गत करना।
3. निधि की उपयोगिता का अनुश्रवण।
4. मार्गदर्शन इत्यादि निर्गत करना।


(तारकेश्वर प्रसाद)
संयुक्त निदेशक

